

‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- 2 नवंबर, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की ‘वविादों का समाधान’ योजना के तहत हरियाणा में खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बदि

- सुचारू खनन सुनिश्चित करने और मुकदमेबाजी/वविादों को न्यूनतम करने के लिये सभी हतिधारकों के साथ वचिार-वमिर्श करके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वविादों को समाधान की नीति के अंतर्गत लंबे समय से लंबित मुद्दों का नपिटारा कया गया।
- ‘एकमुश्त नपिटारा योजना’ के माध्यम से राज्य सरकार ने नमिनलखिति के नपिटारे का नरिणय लया है-
 - पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से पहले की अवधि के लिये देय राश और संचालन के लिये सहमति।
 - खनजि रयायतग्राहयिों को क्षेत्र के वविादों से उत्पन्न मुद्दों पर कठनाई, स्थानीय गड़बड़ी, खनजि की गुणवत्ता, बाजार की स्थिति, आर्थिक रूप से अव्यवहार्य होने वाले कार्यों आदि से उत्पन्न मुद्दों पर कठनाइयों का सामना करने पर आवेदन समर्पण करे।
 - नलिंबन अवधि के लिये बकाया।
 - समझौते का नषिपादन न होना।
 - पर्यावरण मंजूरी से इनकार।
 - अनुबंध के पोस्ट अवॉर्ड क्षेत्र के नियमों में जहाँ कहीं परतबिंध/संशोधन करने की आवश्यकता होगी, वहाँ वार्षिक अनुबंध राश/डेड रेंट के मामलों में कमी की जाएगी।
 - सीटीई/सीटीओ की अवधि के लिये देय राश से इनकार कया गया है।
 - बकाया राश के भुगतान पर ब्याज राश में एकमुश्त राहत।